विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-11 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
11.(क)	क्या मुख्य मंत्री बतायेगें कि जनपद–उन्नाव के शुक्लागंज नगर में बने मॉ ज्वाला देवी ट्रस्ट के ट्रस्टी को उक्त नगर की ट्रस्ट तथा ग्राम समाज की भूमि को बेचने का अधिकार दिया गया है ?	जी नहीं । जनपद उन्नाव के शुक्लागंज नगर के राजस्व ग्राम नेतुवा परगना सि0सरोसी तहसील व जिला उन्नाव में वर्तमान खतौनी खाता सं0 3139 पर कुल 5 किता क्षेत्रफल 0.5800हे0 व खाता सं0–3140 पर कुल 14 किता क्षे0 3.072हे0 व खाता सं0 3141 पर 1.9320हे0 भूमि बतौर संक्रमणीय भूमिधर श्री प्रकाश स्मारक ज्वालादेवी प्रति0/ ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक श्रीमती कृष्णादेवी त्रिवेदी निवासी गंगाघाट के नाम दर्ज अभिलेख है, जिनकी मृत्यु उपरांत वर्तमान में प्रबन्धक श्री संजय त्रिवेदी पुत्र संतोष कुमार त्रिवेदी निवासी 18/44 लालकोठी कुरसंवा माल रोड कानपुर जरिये वसीयत दिनांक 17.03.2016 के आधार पर दर्ज अभिलेख है। उक्त ट्रस्ट भूमि संक0भूमिधर अधिकार की है, जिसमें ग्राम सभा भूमि नहीं है। ट्रस्ट नियमावली अनुसार ट्रस्ट प्रबन्धक को ट्रस्ट के नाम अंकित भूमि के प्रबन्धन का अधिकार प्राप्त है।
(ख)	यदि नहीं, तो उक्त ट्रस्ट के अधीन लगभग 45 से 50 वर्षो से किराये में निवास करने वाले निर्धन/ असहाय लोगों को निकाल कर किसके आदेश से ट्रस्ट की तथा ग्राम समाज की भूमि को मन–माने दामों पर बेच रहें हैं ?	ट्रस्ट के अधीन किराये में निवास करने वाले निर्धन/ असहाय परिवार पूर्ववत निवास कर रहे हैं। प्रबन्धक द्वारा किसी किरायेदार को निकाला नहीं गया है एवं वर्तमान प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट का कोई विक्रय भी नहीं किया गया है। पूर्व प्रबन्धक (मृतक) श्रीमती कृष्णादेवी द्वारा विद्यालय परिवार के दो सदस्यों को प्रत्येक को 200 गज कुल 400 गज भूमि विक्रय की गयी थी।
(ग)	यदि हॉ, तो उक्त प्रकरण की जॉच कराकर दोषी ट्रस्टी/ अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करायेगें ?	प्रकरण की जॉच कराकर दोषी ट्रस्टी/ अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करायी जायेगी।
(घ)	यदि हॉ, तो क्या उक्त प्रकरण की जॉच आख्या सदन की मेज पर रखेगें ?	उपरोक्तानुसार ।
(ड.)	यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।